सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–05 शुक्रवार, दिनांक–10 नवम्बर, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.18 बजे पूर्वाह्न तक

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 05 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने एवं सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04:12 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग श्री कुमार सर्वजीत द्वारा बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा–29(3) के तहत बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1993 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग श्री कुमार सर्वजीत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारणं एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–54 के तहत बनाई गई "वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1983" की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग श्री कुमार सर्वजीत द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–64 के तहत बनाई गई बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1986; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) नियमावली, 2014 एवं

बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(iv) माननीय मंत्री, विधि विभाग, श्री शमीम अहमद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(v) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरि नारायण सिंह द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित 222वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(vi) माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2006–07 से वर्ष 2017–18 तक के वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवदेन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(vii) माननीय प्रभारी मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्री श्रवण द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(viii) माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री शमीम अहमद द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] <u>याचिकाओं का उपस्थापन</u> :–

सभा सचिव द्वारा 118 याचिकाओं का उपस्थापन सदन में किया गया।

[4] <u>गैर सरकारी संकल्प</u> :–

गैर सरकारी संकल्प का निस्तारण प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया। आसन द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के बाद भी विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते रहे और सदन से बहिर्गमन कर गए।

(i) 01 गैर सरकारी संकल्प संख्या–85 उर्जा विभाग को हस्तानांतरित।

(ii) 53 गैर सरकारी संकल्प वापस।

(iii) 46 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ।

गैर सरकारी संकल्प संख्या–17 के निस्तारण के दौरान माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

गैर सरकारी संकल्प संख्या–90 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

[5] <u>आसन की घोषणा</u> :–

आसन द्वारा सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए, इसे शून्यकाल समिति को सपुर्द करने तथा सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए, उसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द करने की घोषणा की गई।

माननीय सदस्य, डॉ० संजीव कुमार एवं अन्य सभासदों का कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर आसन द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

[6] <u>निवेदन</u> :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 70 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें।

[7] <u>समापन भाषण</u> :–

यथा संलग्न।

तत्पश्चात् बिहार गीत के साथ सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक–10.11.2023

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।